गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
7.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
11.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 व्ही.डी. रंगारी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.07.2019, 17.07.2019, 25.07.2019 एवं 08.08.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.07.2019, 17.07.2019, 25.07.2019 एवं 08.08.2019 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि निम्नानुसार संशोधनों के साथ की गयी:–

बैठक दिनांक 12.07.2019 के विषय क्रमांक–05 में लिया गया निर्णय निम्नानुसार पढ़ा जाये :–

"स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VRET Exempted श्रेणी के शोधार्थियों को Non NET Fellowship प्रदान न किया जाय।"

विषय क्र. 02 **डॉ0 हरीश कुमार कृत शिकायत के संबंध में गठित तथ्यात्मक जॉच समिति के प्रतिवेदन पर विचार।**

उक्त प्रकरण में गठित समिति द्वारा नवीन तथ्यों पर विचारोपरान्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशंसा नहीं दी गई। समिति के सदस्यों में से उपस्थित प्रो0 व्ही.एस. राठौर ने समिति के समक्ष प्रतिवेदन का विवरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि उक्त समिति को प्रकरण के तथ्यों को जांच कर मूलतः प्रकरण के तथ्यों को स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्देश था। अतः समिति ने प्रकरण के समस्त उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

स्थायी समिति ने प्रकरण की जटिलता एवं उसमें होने वाले विलम्ब के कारण शोध विद्यार्थियों को हो रही गठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एवं समिति के संयोजक प्रो0 वी. डी. रंगारी के चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण यह अनुशंसा की कि प्रतिवेदन में प्रस्तुत तथ्यों पर समस्त संकायाध्यक्ष यथाशीघ्र विचार कर अपनी अनुशंसा आगामी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

विषय क्र. 03 **बी.एससी. फारेस्ट्री (CBCS) प्रणाली के अन्तर्गत अध्यादेश में संशोधन प्रस्ताव पर पुनः विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन का परीक्षण अध्ययन मण्डल से कराकर CBCS के नोडल अधिकारी की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्तावित संशोधनों पर विद्यापीठ मण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा उक्त अनुमोदन की प्राप्ति उपरान्त अध्यादेश संशोधन का प्रस्ताव विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 04 **अर्थशास्त्र विभाग के शोधार्थी श्री गजानन कटरे की पुनः पंजीयन संबंधी प्रकरण पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि श्री गजानन कटरे के प्रकरण पर विभागीय शोध समिति विश्वविद्यालय के प्रभावी शोध अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानों के अधीन विचार कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायें।

विषय क्र. 05 **विश्वविद्यालय के अभिलेखों में प्रतीक चिन्ह के संबंध में विचारार्थ।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु गुरू घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2005 में लिये गये निर्णय एवं अधिसूचना क्रमांक 2538/स्था/प्रशा/2005 दिनांक 24.06.2005 के अनुसार प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हुए कार्यवाही सम्पादित किये जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रतीक चिन्ह के संबंध में यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत कराने हेतु समिति गठित की जाय। यह समिति विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों/अधिसूचनाओं आदि का अध्ययन कर प्रतीक चिन्ह के संबंध में उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति के गठन हेतु विद्यापरिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना

अ.अ.वि.क्र–01 वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव सराहनीय है, परन्तु ऐसे प्रस्तावों पर प्रचलित नियम का उल्लेख करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों में चल रहे समान कार्यों का उदाहरण के साथ उनके दिशा–निर्देश/विनियम के साथ यह प्रस्ताव विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

अ.अ.वि.क्र–02 इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी अध्ययनशाला के अधिष्ठाता तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा अनुशंसित बी.टेक प्रथम वर्ष (2019–20) के छात्रों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्रों को नवीन बालक छात्रावासों में कक्ष आबंटन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी अध्ययनशाला के अधिष्ठाता तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र–03 विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के आयोजन की तिथि निर्धारण हेतु तथा दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि निर्धारण हेतु तथा दीक्षांत समारोह से संबंधित सुसंगत आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्यापरिषद की स्थायी समिति कुलपति महोदया को अधिकृत करती है।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**